[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
(केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड)
अधिसूचना सं. 4 /2018- एकीकृत कर

नई दिल्ली, 31 दिसंबर, 2018
10 पौष ,1940 (शक)

सा.का.नि.... (अ).-- केन्द्रीय सरकार, एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 22 के साथ पठित धारा 13 की उपधारा (7) और धारा 12 की उपधारा (3), (7) और (11) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एकीकृत माल और सेवा कर नियम, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम एकीकृत माल और सेवा कर (संशोधन) नियम, 2018 है ।

(2) ये 1 जनवरी, 2019 से प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे ।

2. एकीकृत माल और सेवा कर नियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 3 के खंड (ज) में "इंटरनेट पर विज्ञापन की दशा में" शब्दों के पश्चात् "सेवा संपूर्ण भारत में प्रदान की गई समझी जाएगी □□" शब्दों को अंत:स्थापित किया जाएगा ।

3. उक्त नियम में, नियम 3 के पश्चात् निम्नलिखित नियमों को अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

4. एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 12 की उपधारा (3) के अधीन, भिन्न-भिन्न राज्यों या संघ राज्यक्षेत्रों को प्रदाय योग्य सेवाओं की पूर्ति,

(क) प्रत्यक्ष रूप से स्थावर संपत्ति के संबंध में सेवाएं, जिसके अंतर्गत वास्तुविदों, आंतरिक सज्जाकारों, सर्वेक्षकों, इंजीनियरों और अन्य संबंधित विशेषज्ञों या संपदा अभिकर्ताओं द्वारा प्रदान की गई सेवाएं भी हैं, स्थावर संपत्ति के उपयोग का अधिकार प्रदान करने के रूप में दी गई या संनिर्माण कार्य को करने या उसे समन्वित करने के लिए किसी सेवा की पूर्ति: या

(ख) किसी होटल, सराय, अतिथिगृह, गृह निवास, क्लब या शिविर स्थान द्वारा चाहे जिस नाम से भी ज्ञात हों, जिसके अंतर्गत हाउस बोट या कोई अन्य जलयान भी है, वास सुविधा के रूप में सेवाओं की पूर्ति; या

(ग) कोई विवाह या स्वागत समारोह या उससे संबंधित मामलों को आयोजित करने के लिए शासकीय, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक या कारबार समारोह जिसके अंतर्गत ऐसी संपत्ति पर ऐसे समारोह के संबंध में दी गई सेवाएँ भी हैं, के लिए किसी स्थावर संपत्ति में वास सुविधा के रूप में सेवाओं की पूर्ति; या

(घ) □□□ (□), (□) □□ (□) □□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□ □□□□□□,

□□ □□□□□ □□□,

जहां ऐसी स्थावर संपत्ति या नौका या जलयान एक या अधिक राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में अवस्थित है वहाँ सेवाओं की पूर्ति प्रत्येक क्रमिक राज्यों या संघ राज्यक्षेत्रों में होने के रूप में होगी और यथास्थिति, ऐसे प्रत्येक राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में सेवाओं को पृथक रूप से संगृहीत करने या उनके मूल्य का अवधारण करने के लिए सेवाओं के पूर्तिकार और सेवाओं के प्राप्तिकर्ता के बीच किसी संविदा या करार के अभाव में निम्नलिखित रीति से अवधारित किया जाएगा, अर्थात्-

(i) किसी होटल, सराय, अतिथिगृह, क्लब या शिविर स्थान चाहे जिस नाम से भी ज्ञात हो, द्वारा वास आवास की सुविधा (उन दशाओं को छोड़कर जहां ऐसी संपत्ति दो या अधिक संलग्न राज्यों या संघ राज्यक्षेत्रों या दोनों में एकल संपत्ति के रूप में अवस्थित है) और उनसे आनुषंगिक ऐसी सेवाओं को प्रदान करने की दशा में सेवाओं की पूर्ति को प्रत्येक क्रमिक राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों में ऐसी संपत्ति में रात्रि ठहराव की संख्या के अनुपात में किया गया समझा जाएगा ;

(ii) स्थावर संपत्ति के संबंध में अन्य सभी सेवाओं की दशा में, जिसके अंतर्गत, कोई विवाह या स्वागत समारोह आदि है और किसी होटल, सराय, अतिथिगृह, क्लब या शिविर स्थान चाहे जिस नाम से भी ज्ञात हो, द्वारा वास आवास की सुविधा, जहां ऐसी संपत्ति दो या अधिक संलग्न राज्यों या संघ राज्यक्षेत्रों या दोनों में एकल संपत्ति के रूप में अवस्थित है और ऐसी सेवाओं के आनुषंगिक सेवाओं को प्रदान करने की दशा में सेवाओं की पूर्ति को प्रत्येक क्रमिक राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों में प्रत्येक राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में पड़ी हुई स्थावर संपत्ति के अनुपात में किया गया समझा जाएगा;

(iii) हाउस बोट या अन्य जलयान द्वारा प्रदान की गई वास आवास के रूप में सेवाएं या ऐसी सेवाओं के अनुषंगी सेवाओं की दशा में सेवाओं की पूर्ति को प्रत्येक क्रमिक राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों में ऐसे प्रत्येक राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में जलयान या नौका द्वारा व्यतीत किए गए समय के अनुपात में किया गया समझा जाएगा, जिसे सेवा प्रदाता द्वारा इस प्रभाव की घोषणा के आधार पर अवधारित किया जाएगा ।

दृष्टांत 1: एक होटल श्रंखला X इसके दो स्थापनों दिल्ली और आगरा में रुकने के लिए 30,000/-रु. की समेकित राशि भारित करती है, जहां दिल्ली में 2 रात का ठहराव है और आगरा में एक रात के लिए ठहराव है। इस मामले में पूर्ति का स्थान दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र और उत्तर प्रदेश राज्य दोनों है, और सेवाओं को दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र और उत्तर प्रदेश राज्य में क्रमशः 2:1 के अनुपात में प्रदाय किया गया समझा जाएगा। इस प्रकार प्रदत्त सेवाओं के मूल्य का प्रभाजन 20,000/-रु. दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में और 10,000/ उत्तर प्रदेश राज्य में किया जाएगा।

दृष्टांत 2: एक 20,000 वर्ग फीट भूमि का टुकड़ा जो भागत: मानो 12,000 वर्ग फीट राज्य एस 1 में और भागत: मानो 8,000 वर्ग फीट राज्य एस 2 में है । स्थल तैयारी कार्य टी को सौंपा गया। दोनों राज्यों में भूमि के अनुपात की गणना 12:8 या 3:2 (सरलीकृत) के रूप में हुई । पूर्ति का स्थान एस 1 और एस 2 दोनों राज्यों में है। सेवाओं को क्रमश: दोनों राज्यों एस 1 और एस 2 में 12:8 या 3:2 (सरलीकृत) के अनुपात में प्रदान किया गया समझा जाएगा । सेवा का मूल्य राज्यों के बीच तदनुसार प्रभाजित किया जाएगा ।

दृष्टांत 3: एक कंपनी सी 24 घंटे हाउस बोट में आवास की सेवा प्रदान करती है, जो कि केरल और कर्नाटक दोनों राज्यों में है, चूंकि अतिथि केरल में हाउस बोट पर बैठते हैं और वहां 22 घंटों के लिए रुकते हैं लेकिन यह कर्नाटक में भी 2 घंटे के लिए जाती है (जैसा कि सेवा प्रदाता ने घोषित किया है) इस सेवा की पूर्ति का स्थान केरल और कर्नाटक राज्य है । सेवाओं को क्रमश: केरल और कर्नाटक में 22:2 या 11:1 (सरलीकृत) के अनुपात में प्रदान किया गया समझा जाएगा । सेवा का मूल्य राज्यों के बीच तदनुसार प्रभाजित किया जाएगा ।

5. उक्त अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (7) के अधीन, भिन्न-भिन्न राज्यों या संघ राज्यक्षेत्रों को प्रदाय योग्य सेवाओं की पूर्ति,

(क) किसी सांस्कृतिक, कलात्मक, खेल-कूद, वैज्ञानिक, शैक्षणिक या मनोरंजन समारोह के आयोजन के रूप में दी गई सेवाएं जिसके अंतर्गत किसी सम्मेलन, मेला, प्रदर्शनी, अनुष्ठान या इसी प्रकार के समारोहों के संबंध में सेवाओं की पूर्ति भी है; या

(ख) किसी ऐसे समारोह को आयोजित करने के लिए अनुषंगी सेवाएं या ऐसे समारोहों के प्रायोजन का समनुदेशन,

के मामले में, जहां किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति को सेवाओं की पूर्ति की जाती है, समारोह भारत में एक से अधिक राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में आयोजित किया जाता है और ऐसे समारोह से संबंधित सेवाओं की पूर्ति के लिए संचित रकम प्रभारित की जाती है वहां सेवाओं की पूर्ति प्रत्येक क्रमिक राज्यों या संघ राज्यक्षेत्रों में होने के रूप में होगी और यथास्थिति, ऐसे प्रत्येक राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में सेवाओं को पृथक रूप से संगृहीत करने या उनके मूल्य का अवधारण करने के लिए सेवाओं के पूर्तिकार और सेवाओं के प्राप्तिकर्ता के बीच किसी संविदा या करार के अभाव में साधारणत: स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के लागू होने के द्वारा अवधारित किया जाएगा ।

दृष्टांत: एक समारोह प्रबंधक कंपनी 'ई' राज्य एस 1 और राज्य एस 2 में सेवा प्राप्तिकर्ता 'आर' के लिए कुछ अभिप्रेरणात्मक समारोह आयोजित करती है । 3 समारोह एस 1 में और 2 समारोह एस 2 में आयोजित होने हैं, उसने 10,00,000/- रुपए की संचित रकम 'आर' से भारित की । साधारणत: स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के लागू होने के द्वारा अनुपात मानो 3:2 के रूप में पहुंचा। सेवाओं को क्रमश: एस 1 और एस 2 में 3:2 के अनुपात में प्रदान किया गया समझा जाएगा। प्रदान की गई सेवाओं का मूल्य इस प्रकार 6,00,000/- रुपए एस 1 में और 4,00,000/- रुपए एस 2 में प्रभाजित किया जाएगा ।

6. उक्त अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (11) के अधीन, भिन्न-भिन्न राज्यों या संघ राज्यक्षेत्रों को प्रदाय योग्य सेवाओं की पूर्ति, लीज्ड सर्किट के संबंध में सेवाओं की पूर्ति की दशा में जहां लीज्ड सर्किट एक या एक से अधिक राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में संस्थापित किए जाते हैं और ऐसी सेवाओं की पूर्ति के लिए संचित रकम भारित की जाती है वहां ऐसी सेवाओं की पूर्ति प्रत्येक क्रमिक राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में होने के रूप में होगी और यथास्थिति, ऐसे प्रत्येक राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में सेवाओं को पृथक रूप से संगृहीत करने या उनके मूल्य का अवधारण करने के लिए सेवाओं के पूर्तिकार और सेवाओं के प्राप्तिकर्ता के बीच किसी संविदा या करार के अभाव में निम्नलिखित रीति से अवधारित किया जाएगा, अर्थात्:-

(क) सर्किट में बिंदुओं की संख्या निम्नलिखित रीति से अवधारित की जाएगी:

(i) सर्किट के दो स्थानों या बिंदुओं के बीच होने की दशा में सर्किट का आरंभिक स्थान या बिंदु और सर्किट का अंतिम स्थान या बिंदु सदैव दो बिंदु गठित करेंगे;

(ii) बिंदु या सर्किट में कोई मध्यवर्ती बिंदु या स्थान भी बिंदु गठित करेंगे बशर्ते लीज्ड सर्किट का फायदा उस मध्यवर्ती बिंदु पर भी उपलब्ध है;

(ख) सेवाओं की पूर्ति को प्रत्येक क्रमिक राज्यों या संघ राज्यक्षेत्रों में राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में पड़ने वाले बिंदुओं की संख्या के अनुपात में किया गया समझा जाएगा।

दृष्टांत 1.- कंपनी 'टी' कंपनी 'सी' के दिल्ली और मुम्बई कार्यालय के बीच लीज्ड सर्किट संस्थापित करती है । इस सर्किट का आरम्भिक बिन्दु दिल्ली में है और सर्किट का अंतिम छोर बिन्दु मुम्बई में है । इसलिए इस सर्किट का एक बिन्दु दिल्ली में है और दूसरा बिन्दु महाराष्ट्र में है । इस सेवा के प्रदाय का स्थान दिल्ली संघ राज्यक्षेत्र और महाराष्ट्र राज्य में है । इस सेवा के बारे में यह समझा जाएगा कि उसे क्रमशः दिल्ली संघ राज्यक्षेत्र और महाराष्ट्र राज्य में 1:1 के अनुपात में उपलब्ध कराया गया है ।

दृष्टांत 2.- कंपनी 'टी' कंपनी 'सी' के चेन्नई, बेंगलूरू और मैसूरू कार्यालयों के बीच लीज्ड सर्किट संस्थापित करती है । इस सर्किट का आरम्भिक बिन्दु चेन्नई में है और सर्किट का अंतिम छोर बिन्दु मैसूरू में है । सर्किट बेंगलूरू को भी जोड़ता है । अतः, सर्किट का एक अन्तिम छोर बिन्दु तमिलनाडु में है और दो बिन्दु कर्नाटक में हैं । इस सेवा के प्रदाय का स्थान तमिलनाडु और कर्नाटक राज्यों में है । इस सेवा के बारे में यह समझा जाएगा कि उसे क्रमशः तमिलनाडु और कर्नाटक राज्यों में 1:2 के अनुपात में उपलब्ध कराया गया है ।

दृष्टांत 3.- कंपनी 'टी' कंपनी 'सी' के कोलकाता, पटना और गुवाहटी कार्यालयों के बीच लीज्ड सर्किट संस्थापित करती है । कोलकाता, पटना और गुवाहटी के इस सर्किट में 3 बिन्दु हैं । अतः, इस सर्किट का हर एक बिन्दु पश्चिमी बंगाल, बिहार और असम में है । इस सेवा के प्रदाय का स्थान पश्चिमी बंगाल, बिहार और असम राज्यों में है । सेवा के बारे में यह समझा जाएगा कि उसे क्रमशः पश्चिमी बंगाल, बिहार और असम में 1:1:1 के अनुपात में उपलब्ध कराया गया है ।

7. उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (7) के अधीन, भिन्न-भिन्न राज्यों या संघ राज्यक्षेत्रों को प्रदाय योग्य सेवाओं का प्रदाय, ऐसे माल के सम्बन्ध में प्रदाय की गई सेवाओं के मामले में, जो सेवाओं के प्रदायकर्ता को या सेवाओं के प्रदायकर्ता की ओर से कार्य कर रहे व्यक्ति को या ऐसा व्यक्ति, जो या तो सेवाओं के प्राप्तिकर्ता के रूप में प्रतिनिधित्व करता है या प्राप्तिकर्ता की ओर से कार्य कर रहे व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है, को प्रदाय की गई ऐसी सेवाओं के मामले में, जिनमें प्राप्तिकर्ता या उसकी ओर से कार्य कर रहे व्यक्ति की वस्तुतः उपस्थिति की अपेक्षा की जाती है, जहां सेवाओं के प्रदायकर्ता की अवस्थिति या सेवा के प्राप्तिकर्ता का अवस्थिति भारत से बाहर है और जहां ऐसी सेवाएं एक राज्य या संघराज्य क्षेत्र से अधिक में प्रदाय की जाती है, प्रत्येक सम्बन्धित राज्य या संघ राज्यक्षेत्रों में प्राप्त की गई समझी जाएंगी और यथास्थिति, ऐसे प्रत्येक राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में सेवाओं को पृथक रूप से संग्रहीत करने या उनके मूल्य का अवधारण करने के लिए सेवा के प्रदायकर्ता या सेवाओं की प्राप्तिकर्ता के बीच किसी संविदा या करार के अभाव में प्रत्येक ऐसे राज्य और संघ राज्यक्षेत्र को प्रदाय योग्य मूल्य का अनुपात निम्नलिखित रीति में अवधारित किया जाएगा, अर्थात् :-

(i) उसी माल पर प्रदाय की गई सेवाओं के मामले में, जहां सेवा निष्पादित की जाती है, वहां प्रत्येक राज्य और संघ राज्यक्षेत्र की सेवा के मूल्य को बराबर विभाजित करके ;

(ii) भिन्न-भिन्न मालों पर प्रदाय की गई सेवाओं के मामले में, प्रत्येक राज्य और संघ राज्यक्षेत्रों में ऐसे माल, जिस पर सेवा निष्पादित की जाती है, के बीजक मूल्य के अनुपात को प्रत्येक राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में निष्पादित सेवा के मूल्य के अनुपात के रूप में लेकर;

(iii) व्यष्टियों को प्रदाय की गई सेवाओं के मामले में सामान्यतः स्वीकार किए गए लेखा सिद्धांतों को लागू करके ।

दृष्टांत 1 : कंपनी 'सी', जो कोलकाता में अवस्थित है, तलकर्षण मशीन के परीक्षण की सेवाएं प्रदान कर रही है और मशीन पर परीक्षण सेवा ओडिसा तथा आंध्र प्रदेश में की जाती है । प्रदाय का स्थान ओडिसा और आन्ध्र प्रदेश में है तथा ओडिसा और आन्ध्र प्रदेश में सेवा का मूल्य इन दो राज्यों के बीच सेवा के मूल्य को समान रूप से विभाजित करके अभिनिश्चित किया जाएगा ।

दृष्टांत 2 : कंपनी 'सी', जो दिल्ली में अवस्थित है, मिस्टर 'एक्स' की दो कारों की सर्विसिंग की सेवा प्रदान कर रही है । एक कार विनिर्माता 'जे' की है और दिल्ली में अवस्थित है तथा उसकी दिल्ली स्थित कार्यशाला द्वारा सर्विस की जाती है । दूसरी कार विनिर्माता 'ए' की है और गुरूग्राम में अवस्थित है तथा गुरूग्राम अवस्थित कार्यशाला द्वारा सर्विस की जाती है । दिल्ली संघ राज्यक्षेत्र और हरियाणा राज्य को क्रमशः प्रदाय योग्य सेवाओं का मूल्य, मूल्य की संगणना कार 'जे' के बीजक मूल्य और कार 'ए' के बीजक मूल्य के अनुपात को सेवा के कुल मूल्य पर लागू करके संगणित किया जाएगा ।

दृष्टांत 3 : श्रृंगार कलाकार 'एम' को अभिनेता 'ए' को श्रृंगार सेवाएं प्रदान करनी हैं । 'ए' कुछ दृश्यों की मुम्बई में शूटिंग और कुछ दृश्यों की गोवा में शूटिंग कर रहा है । 'एम' मुम्बई और गोवा में श्रृंगार सेवा उपलब्ध कराता है । सेवाएं महाराष्ट्र और गोवा में उपलब्ध कराई जाती हैं तथा महाराष्ट्र और गोवा में सेवाओं का मूल्य साधारणतया स्वीकृत लेखा सिद्धांतों को लागू करके अभिनिश्चित किया जाएगा ।

8. उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (7) के अधीन स्थावर संपत्ति के सम्बन्ध में प्रत्यक्ष रूप से सेवाओं, जिसके अन्तर्गत विशेषज्ञों और संपदा अभिकर्ताओं द्वारा इस सम्बन्ध में प्रदाय की गई सेवाएं भी हैं, का प्रदाय किसी होटल, सराय, अतिथि-गृह, क्लब या शिविर स्थान, चाहे वे किसी नाम से ज्ञात हों, द्वारा आवास का प्रदाय, स्थावर संपत्ति के उपयोग के अधिकार प्रदान करने, संनिर्माण कार्य को करने या उसके समन्वय के लिए सेवाएं, जिसके अन्तर्गत वास्तुविदों या आंतरिक सज्जाकार की सेवाएं भी हैं, के मामले में, जहां सेवाओं के प्रदाय का अवस्थान या सेवाओं के प्राप्तिकर्ता का अवस्थान भारत से बाहर है और जहां ऐसी सेवाएं यथास्थिति, प्रत्येक ऐसे राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में सेवाओं का मूल्य पृथक रूप से संग्रहीत करने या अवधारण करने के लिए सेवाओं के प्रदायकर्ता या सेवाओं के प्राप्तिकर्ता के बीच किसी संविदा या करार के अभाव में, भिन्न-भिन्न राज्यों या संघ राज्यक्षेत्रों को प्रदाय योग्य मूल्य का अनुपात आवश्यक परिवर्तनों सहित, नियम 4 के उपबंधों को लागू करके अवधारित किया जाएगा ।

9 : उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (7) के अधीन, सांस्कृतिक, कलात्मक, खेल, वैज्ञानक, शैक्षणिक या मनोरंजन, कार्यक्रम में प्रवेश या समारोह, सम्मेलन, मेला, प्रदर्शनी या

वैसे ही कार्यक्रमों में प्रवेश या उनके आयोजन के माध्यम से सेवाओं की और ऐसे प्रवेश या आयोजन की समनुषंगी सेवाओं के प्रदाय के मामले में, जहां सेवाओं के प्रदायकर्ता की अवस्थिति या सेवाओं के प्राप्तिकर्ता की अवस्थिति भारत से बाहर है और जहां ऐसी सेवाएं यथास्थिति, प्रत्येक ऐसे राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में सेवाओं का मूल्य पृथक रूप से संग्रहीत करने या अवधारण करने के लिए सेवाओं के प्रदायकर्ता या सेवाओं के प्राप्तिकर्ता के बीच किसी संविदा या करार के अभाव में, भिन्न-भिन्न राज्यों या संघ राज्यक्षेत्रों को प्रदाय योग्य मूल्य का अनुपात आवश्यक परिवर्तनों सहित, नियम 5 के उपबंधों को लागू करके अवधारित किया जाएगा ।

[फा.सं. 20/06/16/2018-जीएसटी]

(डा. श्रीपार्वती एस.एल.)
अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण में सा.का.नि. सं. 699(अ), 28 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उन्हें अंतिम बार भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित सा.का.नि 1424 (अ), तारीख 15 नवम्बर, 2017 द्वारा अधिसूचना सं. 12/17-एकीकृत कर, तारीख 15 नवम्बर, 2017 द्वारा संशोधित किया गया था ।